राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर

क्रमांक– 6078 दिनांक–24.12.2014

<u>दिनांक 23.12.2014 को सांय 3:00 बजें हुई प्री–बिडिंग मीटिंग की कार्यवाही</u>

संस्था के ग्रो–आउट फार्म, बोरवट, बांसवाडा (राजस्थान) पर ग्रीन हाऊस निर्माण हेतु ई–टेण्डर नोटिस क्रमांक 5846 दिनांक 12.12.2014 के अनुसरण में निदेशक महोदय की अध्यक्षता में कमरा नं.–338, पंत कृषि भवन, जयपुर में प्री–बिड मीटिंग का आयोजन किया गया। इसमें संस्था के अधिकारियों तथा आठ फर्मों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया (उपस्थिति प्रपत्र संलग्न)। उपस्थित फर्म प्रतिनिधियों द्वारा निविदा शर्तों एवं योग्यता के संबंध में निम्न बिन्दू उठाये गये :–

1. निविदा प्रपत्र की बिन्दू संख्या A-4-b (पृष्ठ संख्या–3) के अनुसार निविदा की योग्यता में फर्म का उद्यान विभाग, राजस्थान में पंजीकृत होना चाहिए । इस शर्त में शिथलीकरण का निवेदन किया गया। उपस्थित फर्म ने बताया कि वो उद्यान विभाग में पंजीकृत नहीं है परन्तु उद्यान विभाग के Center of Excellence, कोटा में ग्रीन हाऊस का निर्माण कर रही है।
2. भुगतान प्रक्रिया में माल प्राप्ति तथा कार्य प्रारम्भ होने की स्टेज पर प्रतिशतता के आधार पर भुगतान करने का निवेदन किया गया।
3. तीन वर्ष की वारंटी में प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प तथा 120 किमी. प्रति घंटे से अधिक वायु वेग के तूफान के कारणों को वारंटी में शामिल नहीं किये जाने का निवेदन किया गया है।

संस्था के ग्रो–आउट फार्म, बोरवट, बांसवाडा पर ग्रीन हाऊस निर्माण हेतु गठित क्रय एवं तकनीकी कमेटी द्वारा उपरोक्तानुसार उठाये गये बिन्दूओं पर निम्नानुसार निर्णय की अनुशंषा की गई:–

1. निविदा प्रपत्र की बिन्दु संख्या A-4 (b) में ऐसी फर्म जो उद्यान विभाग में पंजीकृत नहीं है किन्तु उद्यान विभाग में ग्रीन हाऊस निर्माण का कार्य कर रही है को भी शामिल किया जाता है।
2. भुगतान प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
3. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकम्प तथा 120 किमी. प्रति घंटे से अधिक वायु वेग के तूफान के कारण होने वाले नुकसान को वारण्टी में शामिल नहीं किया जाता है।

(मधुसूदन शर्मा)
निदेशक

23/12/14
SCO (QC)

23/12/14
AO

मुख्य ... राज. राज्य बीज ... प्रमाणीकरण संस्था पंत कृषि भवन, जयपुर
23/12/14